<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय्')

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 695/2015</u> संस्थित दिनांक 13.11.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बड़वानी, मप्र

– अभियोगी

वि रू द्व

गोपाल पिता नाना भीलाला, उम्र 65 वर्ष, निवासी ब्राहमण गांव पुर्नवास, थाना ठीकरी, जिला बड़वानी

अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ **– श्री अकरम मंसूरी** अभियुक्तगण द्वारा अभिभाषक **– श्री एम.एस. सोलंकी**

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 30—11—2016 को घोषित)

01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 251/2013 के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 04.11.2013 को शाम के करीब 5:00 बजे ग्राम ब्राहमण गांव में लोक स्थान पर फरियादी आशाराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने तथा सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से फरियादी को मारकर उसे उपहित कारित करने तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के आधार पर भादिव की धारा 294, 323, 506 भाग—दो का आरोप है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2013 को शाम के लगभग 5:00 बजे फरियादी आशाराम पिता सीताराम ने थाना ठीकरी पर आकर रिपोर्ट लिखाई की वह ग्राम ब्राहमण गांव रहता ओम भाई पाटीदार निवासी ग्राम कुआं के खेत पर रखवाली करता है तथा खेत में गन्ने की फसल बोई है, गांव का गोपाल पिता नाना भीलाला शाम करीब 5:00 बजे ब्राहमण गांव तरफ से आया और उसके खेत से दो गन्ने तोड़ लिये वह खेत में रखवाली कर रहा था, उसने देखा और वह चिल्लाया फिर पास जाकर उसे बोला कि बिना पूछे तुने खेत से गन्ना कैसे तोड़ा तो गोपाल ने उसे अश्लील नंगी—नंगी गालियां दी व लकड़ी से मारपीट की, जिससे उसकी बायी ऑख के पास व सिर में चोट लगी और खुन निकला, गोपाल बोला आज तो बच गया किसी दिन जान से खतम कर दूंगा। फिर वह भागकर अपने घर गया और उसके

लड़के राजाराम, गणेश खड़गिसंह को घटना बताई और साथ लेकर थाने जाकर रिपोर्ट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 251/2013 दर्ज कर, फरियादी आशाराम को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, अभियुक्त गोपाल के पास से बांस की लकड़ी जप्त की गई, अभियुक्त को गिरफतार किया गया, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त गोपाल को भादि की धारा 294, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। दप्रसं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं उसे रंजिश के कारण झूठा फसाया गया है, उसने फरियादी के लड़के राजाराम के खिलाफ कपास नुकसानी की रिपोर्ट की थी, इसलिये उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

큙.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त गोपाल द्वारा घटना दिनांक 04.11.2013 को शाम के करीब 5:00 बजे ग्राम ब्राहमण गांव में लोक स्थान पर फरियादी आशाराम को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
(ii)	क्या अभियुक्त गोपाल द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी आशाराम को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उपहति कारित की ?
(iii)	क्या अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी आशाराम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

- विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) पर सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी आशाराम (अ.सा.—1) का कथन है कि घटना लगभग ढेड़—दो वर्ष पूर्व शाम 5:00 बजे की है, वह गांव से अपने घर कील ओर जारहा था, अभियुक्त गोपाल ओम पाटीदार के यहां से गन्ना लेकर आया था, तब उसने अभियुक्त से कहा था कि यह गन्ना उसका नहीं है तो अभियुक्त हाथ में ली हुई लकड़ी से उसे सिर में तथा बाये ऑख पर मार दी थी जिससे उसे चोट आई थी, उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने पर की थी जो प्रदर्श पी 1 है, उसने पुलिस को प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसे ईलाज के

लिए ठीकरी अस्पताल भेजा था।

07— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सवीकार किया है कि वह ब्राहमण गांव के पुनर्वास में रहता है, जब वह ब्राहमण गांव से पुनर्वास अपने घर जा रहा था। फरियादी ने स्वीकार किया है कि उसके पुत्र राजाराम ने अभियुक्त के खेत में कपास का नुकसान कर दिया था, उसकी रिपोर्ट अभियुक्त ने थाने पर की थी और उसके पुत्र को थाने पर बुलाया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उसका अभियुक्त से वाद—विवाद हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना वाले दिन शराब पीये हुऐ था, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि नशे में गिर गया था जिससे उसे चोटें आई थी अथवा उसने झूठी रिपोर्ट की गई है।

08— गणेश (अ.सा.2) का कथन है कि घटना लगभग दो वर्ष पहले आशाराम उसके घर आया था और उसे बताया था कि अभियुक्त ने सिर में लकडी मार कर चोट पहुंचाई है। साक्षी का यह भी कथन किया है कि फरियादी के सिर में चोट लगी थी और फरियादी ने उसे बताया था कि जब ओम पाटीदार के खेत में गन्ने की रखवाली कर रहा था तब अभियुक्त गन्ना तौड़कर ले जा रि था, उसने गन्ना ले जाने से रोका तो अभियुक्त ने मारपीट की थी। तब फरियादी उसे साथ लेकर थाने पर रिपोर्ट करने गया था।

09— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह और फरियादी एक ही परिवार के है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी नशा करता है, साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी को चोट गिरने से आई या मारने से आई वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि अभियुक्त के खेत में फरियादी के पुत्र राजाराम ने कपास का नुकसान किया था या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी को नशे में गिरने से चोट आयी है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी के परिवार का है इसलिये उसको बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

10— खडगिसंह (अ.सा.3) का कथन है कि वह अपने ससुर आशाराम के यहां पर मेहमान गया था तब उसे आशाराम ने बताया था कि उसका गोपाल के साथ झगड़ा हो गया था। अभियोजन की ओर से साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय आशाराम गांव में गन्ने के खेत पर रखवाली करता था, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि आशाराम ने गन्ना तोड़ने की बात को लेकर विवाद होने की बात उसे बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह थाने पर अपने ससुर के साथ रिपोर्ट करने गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आशाराम जब घर आया था, तब उसने उसके सिर पर खुन लगा हुआ देख था।

11— राजाराम (अ.सा.६) का भी कथन है कि 3 वर्ष पूर्व शाम के समय अभियुक्त ने ने उसके पिताजी को सिर पर लकडी मारी थी जिससे उसके पिता को चोट आई थी ओर खुन निकला था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त ने फरियादी को लकड़ी नहीं मारी थी, उसे घर पर पता चला था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिताजी शराब पीते है और शराब पीकर गिर गये हो और सिर में चोट आई हो तो वह नहीं बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पिता उस दिन शराब पीये हुए थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ अभियुक्त ने ठीकरी थाने में कपास की नुकसानी की रिपोर्ट की थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने कपास नहीं उखाडा था।

12— आशीष पण्डित (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 04.01.2013 को फरियादी आशाराम ने थाने पर आकर अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट और गाली—गलोच करने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्रदर्श पी 1 की है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसने आहत को मेडिकल परीक्षण के लिये ठीकरी अस्पताल भेजा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आशाराम के कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी थी।

13— बलराम पाटीदार (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 05.11.2013 को थाना ठीकरी के अपराध कमांक 251/13 की विवेचना के दौरान ग्राम ब्राहमणगांव पुनर्वास स्थल पहुचकर फरियादी की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा— मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अभियुक्त गोपाल के पेश करने पर एक बांस की लकडी प्रदर्श पी 4 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका में घटना स्थल के आसपास खेतों में क्या फसल बोई थी उसका उल्लेख नहीं है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सीताराम के खेत में गन्ने की फसल लगी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है एवं असत्य कथन कर रहा है।

14— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी और अभियुक्त के मध्य पुरानी रंजिश है तथा फरियादी शराब पीकर नशे में गिर गया था इस कारण उसे चोट आई थी।

15— यह सही है कि फरियादी स्वयं ने और साक्षियों ने भी स्वीकार किया है कि फरियादी शराब पीता है और घटना के दिन भी शराब पीया हुआ था, लेकिन फरियादी सहित सभी साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि वह शराब के नशे में गिर गया था और फरियादी को चोटें आई थी। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है, जहां तक अभियुक्त द्वारा फरियादी के पुत्र के द्वारा कपास के पौधे उखाड़ने के संबंध में थाने पर रिपोर्ट करने का प्रश्न है, तो वहां राजाराम (अ.सा.6) ने स्वीकार किया है कि उसने कपास नहीं उखाड़ा था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त और फरियादी के मध्य रंजिश होने का तर्क

भी स्वीकार करना प्रतीत नहीं होता है। आशाराम (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से कभी भी विवाद नहीं हुआ था।

16— फरियादी स्वयं ने अभियुक्त द्वारा उसे गन्ना उखाड़ने की बात को लेकर लकड़ी से सिर में तथा बायी ऑख पर मारने के संबंध में स्पष्ट कथन किये है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट घटना के दो घंटे के भीतर ही थाने पर दर्ज कराई गई है। आशीष पण्डित (अ.सा.4) ने घटना की रिपोर्ट फरियादी के कहे अनुसार लिखना बताया है और बलराम (अ.सा.5) ने उक्त अपराध की विवेचना की है। उक्त दोनों साक्षीगण लोक सेवक है जिनका फरियादी से कोई हितबद्धता या अभियुक्त से कोई रंजिश होना बचाव पक्ष ने प्रमाणित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि उनके द्वारा उक्त कार्यवाही सही रूप से सम्पादित की गई है। फरियादी के कथनों की पुष्टि गणेश (अ.सा.2), खडगिसेंह (अ.सा.3), राजाराम (अ. सा.6) के कथन से भी होती है, जिसका भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

17— इस तरह अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक 04.11.2013 को शाम लगभग 5:00 बजे गणपत भारूड के खेत पास आम रास्ते ब्राहमण गांव में आशाराम (अ.सा.1) को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकडी से मारकर स्वेच्छया पूर्वक उपहित कारित की जो भा. द.वि. की धारा 323 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त गोपाल पिता नानासिंह, आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम ब्राहमण गांव पुनर्वास को भादिव की धारा 323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

- <u>विचारणीय प्रश्न कमांक (i) (iii) पर सकारण निष्कर्ष</u> -

18— उपरोक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक—दसूरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

19— उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंधमें आशाराम (अ.सा.1) ने कोई कथन नहीं किया है तथा शेष अभियोजन साक्षियों ने भी उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त गोपाल पिता नानासिंह, आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम ब्राहमण गांव पुनर्वास के विरुद्ध भादिव की धारा 294, 506 भाग—2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। फलतः उक्त अभियुक्त को यह न्यायालय भा.द.वि. की धारा 294, 506 भाग—2 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है।

20— चुंकि अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा—323 के अपराध में दोषी किया गया है तथा प्रकरण का विचारण वारंट प्रक्रिया अनुसार किया गया है, अतः अभियुक्त गोपाल को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय का आलेखन कुछ देर के लिए स्थिगत किया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

पुनश्चः

21- सजा के प्रश्न पर अभियुक्त और उसके विद्वान अधिवक्ता श्री एम. एस. सोलंकी को सुना गया। उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त लगभग 65 वर्ष की आयु का व्यक्ति है और लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है तथा वह गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर उसे परीविक्षा विधान के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाकर रिहा किया जाए। यह सही है कि अभियुक्त लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, तथा अभियुक्त की आयु, प्रकरण की परिस्थितियों तथा अभियुक्त की आर्थिक व सामाजिक पृष्टभूमि को देखते हुए अभियुक्त को कारावास के दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त गोपाल को अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों अनुसार परीविक्षा का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त गोपाल को भादवि की धारा 323 के अपराध के आरोप में दोषी ठहराते हुए अपराधी परीविक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के प्रावधान अनुसार उसे 1 वर्ष की समयावधि के लिए रूपये 5,000 / – धन राशि का स्वयं का बंधपत्र निष्पादित करने पर, इस शर्त पर, परीविक्षा पर रिहा करता है कि अभियुक्त उक्त समयाविध में परिशांति कायम रखेगा, सदाचारी बना रहेगा और कोई भी अपराध नहीं करेगा तथा यदि अभियुक्त द्वारा परीविक्षा की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा को भूगतने के लिए स्वयं को न्यायालय में उपस्थित रखेगा।

- 22- निर्णय की एक प्रति संबंधित थाने की ओर सूचनार्थ भेजी जाए।
- 23— अभियुक्त गोपाल के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

24— प्रकरण में जप्तशुदा बांस की एक लकड़ी मूल्यहीन होने से बाद अपील अवधि अपील नहीं होने पर नियमानुसार नष्ट की जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उदबोधन पर टंकित।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड् जिला बड्वानी, म.प्र. अंजड्, जिला बड्वानी, म.प्र.